न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 33/14/अपील

शभु प्रसाद पुत्र देवीदत्त आयु 45 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट

ब ना म

1. रीतादेवी धर्मपत्नी अमित कुमार जाति महाजन नि. इण्डस्ट्रीयल एरिया सीकर तहसील व जिला सीकर
2. कुसुम पत्नी श्रवणकुमार बिदावत जाति महाजन निवासी पुलिस लाईन के सामने, सीकर तहसील व जिला सीकर
3. उप पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, तहसील दांतारामर्गढ जिला सीकर
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी जिला सीकर
6. पटवारी, पटवार हल्का, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

– रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 1948दिनांक 06.10.2010

जरिये ग्राम पंचाचत, खाटूश्यामजी(सीकर)

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत वकील रेस्पो. सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक–27.07.2015

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं. 1170 ता 1172, 1198 किता 4 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें अपीलांट के पिताजी को 1/2 हि. उसके पिताजी से प्राप्त हुआ जिसमें से भूमि रेस्पो. सं. 1 महेश कुमार अग्रवाल पुत्र अर्जुनलाल जाति महाजन निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को बेचान कर दिया जिसके सम्बन्ध में वाद व स्थगन उनवानी शंभुप्रसाद बनाम रीतादेवी आदि प्रकरण सं. 8/2010 माननीय न्यायालय एडीजे कम सं. 1, सीकर में विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 01.11.2014 नियत है तथा 11.02.2010 को न्यायालय ने उभय पक्ष की सुनवाई कर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है कि वादग्रस्त कृषि भूमि को फरदर ट्रांसफर व सैल न करें। इस हेतु रेस्पो. सं.

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रीतादेवी, कुसुम पाबन्द है। उक्त स्थगन आदेश के वैध व प्रभावी होते हुए भी रेस्पो. सं. 1 ने अनुचित लाभ प्राप्त करने व अपीलांट को हैरान व परेशान करने की नियत से दिनांक 03.01.2008 को एक विक्रय पत्र रेस्पो. सं. 2 के पक्ष में करवा दिया तथा रेस्पो. सं. 6 ने बिना कब्जे की जांच किये उक्त अवैध ना.करण भरकर रेस्पो. सं. 5 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा रेस्पो. सं. 5 ने भी बिना किसी प्रकार की जांच किये व अपीलांट को सूचित किये बिना रेस्पो. सं. 2 के पक्ष में अपीलग्रस्त अवैध व प्रभावशून्य ना.करण तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है तथा ना.करण विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथमदृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने उक्त ना.करण तस्दीक करने से पूर्व अपीलग्रस्त भूमि से सम्बन्धित कब्जे की कोई जानकारी नहीं की गई। विवादित आराजी आज भी अपीलांट के कब्जा काश्त में है। विवादित ना.करण की कृषि भूमियां अपीलांट की पैतृक कृषि भूमियां है जिनके सम्बन्ध में माननीय एडीजे न्यायालय सीकर के यहां वाद पत्र व स्थगन विचाराधीन है तथा माननीय न्यायालय का स्थगन भी है इसलिए रेस्पो. विवादग्रस्त भूमि को बेचान नहीं कर सकता था। विवादग्रस्त ना.करण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी है जबकि अपीलांट को सुना जाना आवश्यक था इसलिए भी विवादित ना.करण निरस्त होने योग्य हैं। रेस्पो. सं. 1 ता 2 ने अपीलांट को उक्त विवादग्रस्त ना.करण की जानकारी नही होने दी। दिनांक 30.7.2014 को रेस्पो. सं. 1 ता 2 द्वारा अपीलांट को बलात बेदखल करने की धमकी देने पर अपीलांट ने नकल का आवेदन तहसील कार्यालय दांतारामगढ में दिनांक 31.07.2014 को पेश किया तथा उसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 31.07.2014 को प्राप्त होने पर अपीलांट को विवादित ना.करण की जानकारी हुई, इस प्रकार अपील की जानकारी होने से अंदर मियाद पेश है। वैसे अवैध व प्रभावशून्य ना.करण को कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि ना.करण सं. 1948 दिनांक 06.10.2010 ग्राम पंचाायत, खाटूश्यामजी (सीकर) को खारिज फरमाया जावें तथा प्रतिवादी सं. 4 को रिमाण्ड कर आदेशित किया जावें कि वह दिनांक 06.10.2010 की पूर्व की स्थिति कायम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 3 ता 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 1 ता 2 की ओर से वकील श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत हाजिर हुए एवं अपील आपतियां पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजियात को रेस्पो. सं. जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था तथा भूमि क्रय करने के पश्चात् रेस्पो. को मौके पर वास्तविक व व्यावहारिक रूप से कब्जा संभलाया गया था उसी अनुसार रेस्पो. मौके पर काबिज काश्तकार है। रेस्पो. के विक्रय पत्र को सही मानकार तथा मौके पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा कब्जे की जांच कर नियमानुसार

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ना.करण रेस्पो. के पक्ष में ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी द्वारा तस्दीक किया गया है। रेस्पे. उपरोक्त कृषि भूमि के सद्भाविक केता है जिन्होंने कृषि भूमि के एवज में एक निश्चित प्रतिफल की राशि अदा की है। अपीलांट द्वारा अपील में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय एडीजे कम सं. 1, सीकर द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है। यदि स्थगन के आदेश होने के पश्चात् विकय पत्र तस्दीक किया गया है तो अपीलांट को जिस न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है, उसी न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही करनी चाहिए थी जो कि अपीलांट ने ऐसी कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय में नहीं की है। बल्कि विकय पत्र के आधार पर उक्त ना.करण तस्दीक किया गया है उसकी सारहीन अपील पेश की है जो कि स्वतः ही खारिज होने योग्य है। कानूनन जब तक किसी भी विकय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक उपरोक्त दस्तावेज अस्तित्व में रहता है इसलिए विकय पत्र अस्तित्व में रहते हुए उसके आधार पर तस्दीक किया गया ना.करण खारिज नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा केता के पक्ष में विकय पत्र के आधार पर उक्त ना.करण तस्दीक किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं रही है। अपीलांट ने अपनी अपील में कहीं भी यह वर्णित नहीं किया है कि ना.करण तस्दीक की कार्यवाही में ग्राम पंचायत ने यह त्रुटि की है इसलिए अपील सारहीन होने से स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अतः अपील आपति रेस्पो. की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. बहस वकुलाय उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर विवादित ना.करण सं. 1948 दिनांक 06.102010 द्वारा ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलांट ने अपील मेमो के समर्थन में आरआरडी मई, 2001 पेज 242 बउनवानी दुर्गाशंकर बनाम माथुरी व अन्य, आरआरडी फरवरी, 2001 पेज 58 बउनवानी हीरालाल बनाम हरी प्रसाद, आरआरडी 1998 पेज 368, श्रीमती शांति देवी बनाम बाबूलाल, आरआरडी 1998 पेज 370 बउनवानी गुलाबी व अन्य बनाम रामजी लाल की नजीरे पेश की गई है। इसके विपरीत वकील रेस्पो. ने अपील आपतियां पेश कर निवेदन किया कि नियमानुसार विकय पत्र के आधार पर तस्दीक ना.करण को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक विकय पत्र के आधार पर तस्दीक ना.करण खारिज नहीं किया जा सकता है।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ना.करण सं. 1948 दिनांक ~~06.10240~~ 6.10.2010 द्वारा ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी जिला सीकर द्वारा तस्दीक किया गया है। विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

विलम्ब के समय को कन्डोन किया जाता है। दिनांक 13.01.10 को न्यायालय जिला जज, सीकर के समक्ष पेश होने पर दिनांक 16.01.10 को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं. 1, सीकर में सुनवाई हेतु भिजवाया गया एवं आदेदिका दिनांक 11.02.2010 के द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 को वादग्रस्त भूमि के फरदर ट्रांसफर व सेल न करने हेतु पाबन्द किया गया है। जिसमें विवादित आराजियात कृषि भूमियां ख. नं. 1170 ता 1172 व 1198 का वर्णन कर दावा बाबत उदघोषणा व निरस्तीकरण विक्रय पत्र दिनांक 17.8.2007 द्वारा उप पंजीयक दांतारामगढ व विक्रय पत्र दिनांक 17.8.2007 का उल्लेख है, पेश किया गया है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 31.07.2015 नियत है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दुर्गाशंकर बनाम माथुरी व अन्य में उल्लेख किया गया है कि "यह न्याय का सिद्धान्त है कि जब दावा विचाराधीन चल रहा है तो ना.करण सम्बन्धी समरी कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। इस प्रकरण के अन्तर्गत विवादित निर्णयों द्वारा दोनों विवादित ना.करण सं. 2 व 575 को निरस्त किया गया है। अतः यही उपयुक्त होगा कि उक्त दोनों विवादित ना.करण निरस्त रखे जावें तथा नये ना.करण तभी खोले जावें जबकि दावे के माध्यम से दोनों पक्षकारों के अधिकार तैय हो जावें। अतः इन निगरानियों को विचारार्थ ग्रह किये जाने में कोई सार नहीं है।" अन्य दृष्टांत हीरालाल बनाम हरि प्रसाद में उल्लेख किया है कि "सिविल न्यायालय में बेचनामें को निरसत किये जाने बाबत वाद प्रस्तुत हो चुका है जो लंबित है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ द्वारा ना.करण सं. 291 व 292 पर पारित ग्राम पंचायत के आदेशों को अनुचित ठहराया जाना न्यायसंगत है।" दृष्टांत गुलाबी देवी बनाम रामजी लाल में उल्लेख किया गया है कि "यदि पक्षकारों के मध्य में वाद विचाराधीन है तो वाद के निर्णय तक ना.करण की कार्यवाही स्थगित रखी जावें तथा ना.करण यदि स्वीकृत कर दिया गया है तो उसे निरस्त कर दिया जावें। राजस्व मण्डल कीएकल पीठ के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किये जाते है तथा आदेश दिया जाता है कि इस प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में मृतक सुन्दर के नाम ही रहेगी तथा पक्षकारों के मध्य में जो वाद विचाराधीन है उसके निर्णय के अनुसार ना.करण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावें।" उक्त दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में चश्पा होते है। वकील रेस्पो. की अपील आपतियां उपरोक्त परिपेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। वर्तमान में विवादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में पूर्व में तस्दीक विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने की कार्यवाही एडीजे न्यायालय कम सं. 1, सीकर में विचाराधीन है। उक्त स्थगन के बावजूद रेस्पो. सं. 1 द्वारा विवादित आराजी का बेचान रेस्पो. सं. 2 को बेचान किया गया है उक्त न्यायालय से विक्रय पत्रों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उसके पश्चात् किये गये विक्रय पत्र के

(उप)खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

आधार पर तस्दीक ना.करण निरस्त किये जाने योग्य है उक्त निर्णय के अध्यधीन विचाराधीन ना.करण सं. 1948 दिनांक 06.10.2010 द्वारा ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 1948 दिनांक 06.10.2010 बतस्दीक ग्राम पंचायत, खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाता है व निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम सं. 1, सीकर में विचाराधीन प्रकरण दावा सं. 08/10 व टीआई सं. 7/10 बउनवानी शंभुप्रसाद बनाम रीतादेवी आदि में विधिवत निर्णय के पश्चात् ना.करण पुनः तस्दीक किये जाने की कार्यवाही की जावें। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 27.07.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ